

सं.ए.12018/5/2020-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और कल्याण विभाग
(औषध विनियमन अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 11th दिसंबर, 2020

नोटिस

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नियंत्रणाधीन सीडीटीएल, मुंबई में निदेशक, उपनिदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों से संबंधित भर्ती नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. भर्ती नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने हेतु इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ उठाने से पहले सभी पदधारियों से इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर टिप्पणियां, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती हैं। पदधारियों से निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त टिप्पणियों/ आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिए जाने से पहले नियमों एवं अपेक्षाओं के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 414-ए 'डी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पते पर भेजी जायें तथा सॉफ्ट कापी कृपया drugdiv-mohfw@gov.in पर भेजी जायें।

संलग्नक: यथोपरि

रामगोपाल सिंह

(आर.जी. सिंह)

अवर सचिव भारत सरकार

टेलीफोन-23063019

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	*1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 13	लागू नहीं होता	अधिकतम 50 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)

<p>अनिवार्य:</p> <p>कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकैमिस्ट्री अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायोलोजी अथवा फार्मकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए 01 वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>
---	-----------------------	----------------------------------	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>

<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 12 में 05 वर्ष की सेवा वाले उप निदेशक ।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक, (भारत) - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) अपर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सेवा - सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।</p>
--	--	---

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उप निदेशक	*1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 12	लागू नहीं होता	अधिकतम 50 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
-----------	---	--	---------	----------------	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 01वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्मेकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 8 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
---	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)

<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 11 में 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक, (भारत)/संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) अपर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,- सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक, (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।</p>
--	--	---

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-1	*1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 11	चयन	अधिकतम 40 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
-----------------------------------	--	--	---------	-----	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायोलोजी अथवा फार्मेकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 6 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 10 में 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना:</p> <p>-</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।</p>

<p>पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक, (भारत)/संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) औषधि नियंत्रक, (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक, डीजीएचएस, सदस्य</p>	
--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II	*1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 10	चयन	अधिकतम 35 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--------------------------------------	---	---	---------	-----	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मैसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा	लागू नहीं होता	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्मेकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 6 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)

<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 07 में 03 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) औषधि नियंत्रक, (भारत)/संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) औषधि नियंत्रक, (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक, डीजीएचएस,- सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।</p>
---	--	---

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	*4 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 07	चयन	अधिकतम 30 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
------------------------	---	---	---------	-----	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मैसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>अथवा फार्मेकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 06 में 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) औषधि महानियंत्रक (भारत) सीडीएससीओ - अध्यक्ष</p> <p>(2) सीडीएससीओ के अधीन किसी प्रयोगशाला का निदेशक</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

<p>कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>- सदस्य</p> <p>(3) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</p> <p>- सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) औषधि नियंत्रक भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय</p> <p>- अध्यक्ष</p> <p>(2) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</p> <p>- सदस्य</p> <p>(3) सीडीएससीओ के किसी प्रयोगशाला का निदेशक - सदस्य</p>	
---	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	*15 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 06	चयन	अधिकतम 30 वर्ष टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य:</p> <p>कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्मकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 18 माह का अनुभव</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 25% और सीधी भर्ती द्वारा 75%।

<p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 05 में 06 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) औषधि महानियंत्रक (भारत) सीडीएससीओ - अध्यक्ष</p> <p>(2) किसी प्रयोगशाला का निदेशक - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) औषधि नियंत्रक भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	अध्यक्ष	
टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।	(2) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य (3) किसी प्रयोगशाला का निदेशक - सदस्य	

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	*2 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 05	चयन	18-25 वर्ष के बीच। टिप्पण1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>
<p>(7)</p>	<p>(8)</p>	<p>(9)</p>	<p>(10)</p>
<p>अनिवार्य:</p> <p>कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्माकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री</p> <p>अनुभव औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 12 माह का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 04 में 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक।</p> <p>टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p> <p>(1) औषधि महानियंत्रक (भारत) सीडीएससीओ - अध्यक्ष</p> <p>(2) सीडीएससीओ के अधीन किसी प्रयोगशाला का निदेशक - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-</p> <p>(1) औषधि नियंत्रक भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक, (सीडीएससीओ के अधीन प्रयोगशाला) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	*4 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल 04	चयन	अधिकतम 18-25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की ढील। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए रसायन विज्ञान अथवा बायोकेमेस्ट्री अथवा फार्मसी	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 02	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

<p>अथवा फार्माकोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रिम के लिए मेडिसीन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्मेकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि प्रशिक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 12 माह का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में ढील दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ढील उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>		वर्ष	
---	--	------	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 03 वर्ष की</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: -</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

सेवा वाले प्रयोगशाला परिचर/मल्टी टास्क स्टाफ ।

टिप्पण : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नत के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उन्होंने अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा में आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो की कमी न रखी हो तथा अपने कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : पदोन्नति के लिए पात्रता की सूची संबद्ध ग्रेड/पद में अधिकारी द्वारा निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जायेगी।

- (1) औषधि महानियंत्रक (भारत) सीडीएससीओ - अध्यक्ष
 - (2) सीडीएससीओ के अधीन किसी प्रयोगशाला का निदेशक - सदस्य
 - (3) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य
- समूह 'ख' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण पर विचार करने के लिए) की संरचना-
- (1) औषधि नियंत्रक भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष
 - (2) निदेशक (औषधि), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य
 - (3) निदेशक, (सीडीएससीओ के अधीन प्रयोगशाला), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य